साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

(बिहार सरकार का उपक्रम)

निबंधित कार्यालयः विद्युत भवन, बेली रोड, पटना–21

(मा0स0 एवं प्रशासन विभाग)

211

CIN No. U40109BR2012SGC018890

ज्ञापांक :– VIII/SB/App- Comp-2040/14- 338 दिनांक :– 08/9/2016

निबंधित

नाम– संदीप कुमार,
पुत्र स्व0 रविराज प्रसाद,
भू0पू0 दक्ष खलासी वि0आ0अ0प्र0, औरंगाबाद।

पता– ग्राम/नगर–चिताब कला टोला बहेलिया बीघा
पोस्ट–शेरघाटी, थाना– शेरघाटी थाना,
प्रखंड– शेरघाटी, अनुमंडल–शेरघाटी
जिला–गया।

विषयः– **श्री संदीप कुमार, पुत्र स्व0 रविराज प्रसाद का अनुकम्पा के आधार पर कनीय सहायक के पद पर नियुक्ति के संबंध में।**

कंपनी में सेवा के दौरान आपके पिता **रविराज प्रसाद** के दिनांक **17.09.2015** को मृत्यु के कारण आपको बिहार स्टेट पावर (हो0) कंपनी लिमिटेड एवं इसके अनुषंगी कंपनी के प्रावधानो के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित माना गया।

बिहार स्टेट पावर (हो0) कंपनी लिमिटेड, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 786 दिनांक 08.08.14, कार्यालय आदेश संख्या 1196 दिनांक 08.12.2014, कार्यालय आदेश संख्या 118 दिनांक 05.02.2015, पत्रांक–111 दिनांक–02.03.2015 एवं कार्यालय आदेश संख्या 275 दिनांक 17.03.2015 में निहित प्रावधानो के अनुरूप अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए गठित साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की दिनांक **08.08.2016** को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा के आलोक में आपको औपबंधिक रूप से अस्थायी कनीय सहायक के पद पर प्रारम्भिक वेतन रू0 **8000–13500/–(आठ हजार से तेरह हजार पाँच सौ)मात्र के अंतर्गत एकमुश्त वेतन (Consolidated Pay) रू0 8000/– (आठ हजार रूपया) मात्र मासिक पर** नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाता है एवं कार्यालय आदेश संख्या 01 दिनांक 01.01.2015 के शर्तो के अधीन **परिवीक्षा अवधि की समाप्ति तथा प्रशिक्षणोपरांत** प्रतिमाह PB- I के Pay scale (5200-20200/-) मे ग्रेड पे–3200/- देय होगा।

आपका चयन अस्थायी कनीय सहायक (Junoir Assistant) के पद पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जाता हैः–

1. बिहार स्टेट पावर (हो0) कंपनी लिमिटेड, पटना के स्थायी आदेश संख्या–02 दिनांक–31.01.2013 एवं कार्यालय आदेश संख्या 786 दिनांक 08.08.14 में निहित प्रावधानो के अनुरूप नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष के अन्दर DOEACC Society (सम्प्रति NIELIT) की CCC कोर्स करना अनिवार्य होगा। अनुतीर्ण होने की स्थिति में वार्षिक वेतन वृद्धि बाधित रहेगी।
2. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पटना एवं इसके क्षेत्राधिकार में पड़नेवाले किसी भी कार्यालय में आपका स्थनान्तरण किया जा सकता है।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जिसे उभय पक्ष की ओर से 7 (सात) दिनो की पूर्व सूचना पर समाप्त की जा सकती है।
4. कंपनी का भर्त्ती नियमावली (Recruitment Policy) आप पर लागू होगा तथा कंपनी द्वारा समय–समय पर निर्धारित सेवा शर्त्त भी लागू होगा।
5. प्रशिक्षणोपरांत आपको रू0 100/–(एक सौ) मात्र के नन–जुडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का बंध–पत्र समर्पित करना होगा कि प्रशिक्षण लेने के बाद यदि आप दो वर्ष की सेवा पूरी करने के पूर्व यह सेवा छोड़ते हैं तो आप रू0 50,000/–(पचास हजार) मात्र की रशि के देनदार होंगे।

(210)

6. आपका चयन अनुकम्पा के आधार पर किया जाता है अतः **स्व0 रविराज प्रसाद** के आश्रितों के भरण–पोषण का पूर्ण उत्तरदायित्व आप पर होगा। यदि आप इस उत्तरदायित्व का अवहेलना करेंगे तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा एवं आपकी सेवा इस आधार पर समाप्त किया जा सकता है।

7. यदि आपके द्वारा नियुक्ति हेतु दिये गये सूचना/अभिलेख/प्रमाण–पत्र यथा नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, मृत कर्मी के साथ संबंध आदि कभी भी सेवाकाल में असत्य पाये जाने पर बिना कोई पूर्व सूचना के आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है।

8. जाँच हेतु उपस्थित होने के समय प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र देना होगा किः–

(क) मैं मृत कामगार का आश्रित हूँ।

(ख) मृत कामगार के कोई अन्य आश्रित पूर्व में अनुकम्पा के आधार पर पूर्ववर्ती बोर्ड अथवा बिहार स्टेट पावर (हो0) कंपनी लिमिटेड, पटना एवं इसके अनुषंगी कंपनी में नियोजित नहीं है।

(ग) मृत कामगार की पत्नी एवं कोई अन्य आश्रित किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था में कार्यरत नही है।

(घ) मैं किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था में कार्यरत नही हूँ।

(ड) सामुहिक जीवन बीमा का भुगतान प्राप्त हो गया है।

(च) मैं विवाह में दहेज नही लुंगाँ/विवाह में दहेज नही दूँगी (अविवाहित होने पर) अथवा
मैं विवाह में दहेज नही लिया हुँ एवं मेरी एक मात्र जीवित पत्नी है । जिसका नाम श्रीमती ....है।
(विवाहित होने पर)

(छ) नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदन पत्र की सभी सूचनाए सही है। सूचनाओं के गलत पाये जाने पर मेरी सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है।

(ज) मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

(झ) पूर्व में किसी नियोजक द्वारा मेरी सेवा समाप्त नहीं की गई है।

(ञ) मैं मृत कर्मी के आश्रितों/परिवार का भरण पोषण करूंगा। यदि इसकी अवहेलना करूंगा तो गंभीर कदाचार माना जाएगा तथा कारण पृच्छा पूछकर मेरी सेवा समाप्त की जा सकती है।

9. जाँच के समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र की मूल प्रति तथा स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा–

(i) शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र।

(ii) जन्म तिथि का प्रमाण–पत्र।

(iii) असैनिक शल्य चिकित्सक/ बिहार स्टेट पावर (हो0) कंपनी लिमिटेड, पटना एवं इसके अनुषंगी कंपनियो के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।

(iv) जाति प्रमाण–पत्र।

(v) आय प्रमाण–पत्र।

(vi) मृत्यु प्रमाण–पत्र।

(vii) रू0 100/–(एक सौ) मात्र के नन–जुडिशियल स्टाम्प पर रू0 50,000/–(पचास हजार) मात्र का बंध–पत्र (Bond Paper) (विहित प्रपत्र में)

10. जाँच में उपस्थित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

11. उपरोक्त क्रमांक–8 एवं 9 में वर्णित शपथ पत्र/प्रमाण पत्र/ बंध–पत्र की मूल प्रति समर्पित नहीं करने पर आपके योगदान पर निर्णय नहीं लिया जायेगा।

यदि आपको उपर्युक्त शर्त्त मान्य हो तो दिनांक–**22.09.2016** को वांछित कागजात/ प्रमाण–पत्र/ शपथ–पत्र मूलरूप में तथा उसकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति के साथ महाप्रबंधक (मा0सं0 एवं प्रशा0), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना के कार्यालय कक्ष में उपस्थित हो ताकि आपके प्रमाण–पत्रों/शपथ–पत्रों के जाँचोपरांत आपके योगदान के संबंध में निर्णय लिया जा सके। अन्यथा निर्धारित तिथि को उपस्थित नही होने पर आपकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी।

8/7/10

(आर0ई0शर्मा)
उपमहाप्रबंधक(मा0सं0एवंप्रशा0)